कृषि उपज समिति, सोलन हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2014

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवम औद्योगिक उपज (विकास एवम विनियम) अधिनियम 2005 की धारा 48 (2) के दृष्टिगत, कृषि उपज समिति सोलन जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि 2013–2014 के दौरान मण्डी समिति, सोलन में अध्यक्ष तथा सचिव के पद पर कार्यरत्त रहे पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0 संख्या	पदाधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	श्री रमेश ठाकुर	अध्यक्ष	01.04.2013 से 31.04.14
2	डा0 भानु शर्मा	सचिव	01.04.2013 से 31.04.14

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

कृषि उपज समिति सोलन के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2013 से 31.3.2014 में सम्मिलित आडिट पैरों की गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

क्र0 सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	9	आयकर विभाग के नाम राशि का असमायोजित दर्शाया जाना	145.41
2	10	Market Fees तथा Rent Recovery इत्यादि से सम्बन्धित राशि के Bounced Cheques की न्यायालय के माध्यम से वसूली न करना तथा नियमों की उल्लंघन करने के बावजूद कारोबारियों के पंजीकरण को निरस्त न करना	13.17
3	11	मण्डी समिति द्वारा विभिन्न दुकानों व गोदामों की देय प्रतिभूति की राशि में अन्तर पाया जाना	2.48
4	13	दुकानों के किराये की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	35.50
5	14	टर्मिनल मण्डी परवाणु में पट्टे पर आंबटित दुकानों से पट्टे की राशि की वसूली हेतु शेष पाया जाना	10.82
6	15	मण्डी शुल्क की राशि की कम वसूली करना	4.95
7	18	मण्डी समिति सोलन में आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये	3.71

15 कर्मचारियों को राशि का अनुचित भुगतान करना

8 23 श्री सुशील कुमार (लिपिक) को अनियमित भुगतान करना 0.44

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट ''क''** के पृष्ठ संख्या 31 से 35 पर संलग्न दर्शाई गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वसूली से सम्बन्धित अनेक आपत्तियॉ शामिल है जिन पर शीघ्र कार्रवाई करके वसूली करने के अतिरिक्त अन्य पैरों का भी निपटारा करवाया जाए।

भाग–2

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

मण्डी समिति, सोलन के अवधि 2013–2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री राम सिंह चौहान अनुभाग अधिकारी, श्री अमर दत्त, तथा राकेश कुमार चौहान, लेखा परीक्षक द्वारा पूर्वाकेंक्षण प्रणाली के आधार पर किया गया था।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

निवासी अंकेक्षण योजना, मण्डी समिति सोलन के वर्ष 2013–14 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹1349897/– आंका गया, जिसे मण्डी समिति द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 948725 दिनाँक 27.10.2014 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति एवं विश्लेषणः–

(क) मण्डी समिति सोलन द्वारा प्रस्तुत समिति की वर्ष 2013–14 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न **परिशिष्ट ''ख''** (पृष्ठ संख्या 36) पर भी दिया गया है।

दिनाँक 1.4.13 को आरम्भिक शेष	रोकड़ तथा बैंक में शेष	114498878.38
	Baunced चैकस	1317936.00
	योग	**115816814.38**
वर्ष के दौरान प्राप्तियॉ		83294317.50
कुल योग		**199111131.88**
वर्ष के दौरान भुगतान		72111406.00
31.3.2014 को अन्तिम शेष		**126999725.88**
अन्तिम शेष का विवरण		
	रोकड़ तथा बैंक में	**125681789.88**

	शेष	
	Bounced चैकस	1317936.00
	कुल योग	126999725.88
अन्तिम शेष का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–		
	विभिन्न बेंकों के बचत खातों में जमा राशि	5834323.88
	सावधि जमा में निवेश	118834604.00
	हस्तगत शेष	1012362.00
	स्थाई अग्रिम	500.00
	कुल योग	125681789.88

(ख) वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र तथा वित्तीय स्थिति के आंकड़ो में पाई गई भिन्नता बारेः–

सचिव मण्डी समिति, सोलन द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र को **परिशिष्ट "ख–1"** पर संलग्न किया गया है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2013–14 की वित्तीय स्थिति के आंकड़े वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते है। तुलन पत्र के अनुसार आय/प्राप्ति में ₹79669606.50 तथा व्यय भुगतान में ₹37087653.83 दर्शाई गई है जबकि मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत वित्तीय स्थिति के अनुसार आय/प्राप्ति में ₹83294317.50 तथा व्यय/भुगतान में ₹72111406/– दर्शाई गई है, जिसके कारण स्पष्ट किये जाए।

(ग) बैंक समाधान विवरणिकाः–

मण्डी समिति सोलन की विभिन्न बैंक खातों की दिनाँक 31.3.2014 को बैंक समाधान विवरणिका का विवरण **परिशिष्ट "ख–2"** में दिया गया है। बघाट बैंक परवाणु (खाता संख्या 976) तथा जे0सी0सी0बी0 नालागढ़ (खाता संख्या 101334001005943) की पास बुकें अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। इन बैंक्स की केवल विवरणियाँ प्रस्तुत की गई थी जिस कारण दिनाँक 31.3.14 को पास बुकों से अन्तिम शेषों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त पास बुकें अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि दिनाँक 31.3.14 को अन्तिम शेषों की पुष्टि की जा सके।

(घ) मण्डी समिति, सोलन द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों का विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है।

5 डिपोजिट वर्कस के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत लेखों के अनुसार दिनाँक 31.3.14 को निम्नविवरणानुसार ₹53526148/– हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड तथा अन्य विभागों के पास असमायोजित दर्शाई गई है जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र बोर्ड तथा अन्य विभागों से शीघ्र–अतिशीघ्र प्राप्त करके उक्त राशि का समायोजन करना सुनिश्चित किए जाए तथा इस राशि के समर्थन में विपणन बोर्ड द्वारा जारी मिलान पत्र भी अंकेक्षण को प्रस्तुत किए जाएं।

संस्थान का नाम जिसे डिपोजिट वर्कस की अग्रिम राशि दी गई थी	**जितनी राशि दिनाँक 31.3.14 को असमायोजित थी**	
हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड	52224180	**परिशिष्ट "घ"**
डिपोजिट वर्क, परवाणु (H.P.SD.E.B, Eelectrical Devision)	791350	
डिपोजिट वर्क, परवाणु (HIMUDA)	152918	
डिपोजिट वर्क, सोलन (Irrigation & Public Health Department)	357700	(टिप्पणीः– इस सम्बन्ध में समिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन 2011–12 के पैरा संख्या 10 (ख) तथा 2012–13 की पैरा संख्या 10 (ख) द्वारा भी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कहा गया था परन्तु समिति ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है)
कुल योग	**53526148**	

6 अग्रिमः–

(क) अग्रिम राशियों का समायोजन तथा ऑडिट पैरों का निपटारा न किये जाने बारेः–

अंकेक्षण अधियाचनाओं द्वारा बार–2 आग्रह किये जाने के बावजूद भी निम्नानुसार कई अग्रिम राशियाँ जोंकि पिछले वर्षों से सम्बन्धित है के समायोजन हेतु कोई प्रयास नहीं किये गए जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शीघ्र इन अग्रिम राशियों का समायोजन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमाँक	दिनाँक	बिल संख्या	विवरण	राशि
1	19.04.11	43	शासकीय डाक टिकटों हेतु	2000
2	23.09.11	291	पैट्रोल हेतु	5000
3	01.11.11	375	शासकीय डाक टिकटों हेतु	2000
4	06.02.13	44'9	शासकीय डाक टिकटों हेतु	1000
5	21.02.13	483	शासकीय डाक टिकटों हेतु	1000
6	17.12.13	421	फॉर्म्स की लोडिंग अनलोड़िंग हेतु	10000

(ख) अग्रिम राशियों का नियमानुसार उपयोग न करनाः–

अग्रिम राशियों से सम्बन्धित बिल संख्या 405 दिनाँक 28.11.13 ₹10000/– तथा बिल संख्या 419 दिनाँक 17.12.13, ₹25000/– के समायोजन के दौरान पर पाया गया कि इन अग्रिम राशियों का उपयोग हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों, 2009 के नियम 189 में विहित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया था। इन अग्रिम राशियों को विपणन समिति के खाते से निकालने के काफी महीनों तक भी उपयोग नहीं किया गया था तथा इनका उपयोग काफी लम्बे अन्तराल के बाद किया गया जोकि उपरोक्त नियम में दिए गये प्रावधानों के विरूद्ध है। अतः भविष्य में अग्रिम राशियों का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा जहाँ भी नियमों का उल्लंघन पाया जाए वहां पर समिति द्वारा अपने स्तर पर भी जाँच करके सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई की जाए तथा तत्पश्चात ही अग्रिम राशियों को समायोजन हेतु अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बिलों में की गई ₹115433/–की कटौतियों बारेः–

मण्डी समिति सोलन द्वारा अवधि 2013–14 में प्रस्तुत बिलों में से पूर्व अंकेक्षण के दौरान ₹115433/– की कटौतियाँ विभिन्न बिलों में की गई है। अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त दर्शाई गई कटौतियों के अतिरिक्त विभिन्न बिलो ंको पारित करने से पूर्व व उनमें पाई गई अनियमितताओं को प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जिससे संस्था के लाखों रूपये के अपव्यय को रोककर मण्डी समिति को होने वाली वित्तीय हानि से रोका गया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा विभिन्न वित्तीय मामलों में समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों को समय–समय पर सही दिशा निर्देश/मार्ग दर्शन भी दिया गया है।

8 विपणन बोर्ड को देय मण्डी शुल्क की ₹5872192/– के बारे में:–

मण्डी समिति के तुलन पत्र के अनुसार दिनाँक 31.3.2014 को मण्डी शुल्क की ₹5872192/– विपणन बोर्ड को देय दर्शाई गई थी। मण्डी समिति द्वारा बोर्ड में यह राशि (बिल संख्या 153 दिनाँक 9.7.14) द्वारा जमा करवा दी गई थी तथा अंकेक्षण को बोर्ड द्वारा जारी रसीद संख्या 46 दिनाँक 05.08.14 भी दर्शा दी गई थी।

9 आयकर विभाग के नाम ₹14541808/– का असमायोजित दर्शाया जाना:–

मण्डी समिति के वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र के अनुसार आयकर विभाग को दी गई ₹14541808/– असमायोजित दर्शाई गई है। इस प्रकरण में अकेंक्षण द्वारा जाँच करने पर पाया गया कि यह राशि समय–2 पर आयकर विभाग द्वारा मण्डी समिति को आय पर लगाये आयकर के भुगतान से सम्बन्धित है। उक्त राशि में मण्डी समिति द्वारा देय तिथि तक आयकर की रिटर्न दाखिल न करने के कारण भुगतान की गई जुर्माने की ₹3240779/– भी सम्मिलित थी जिसे आयकर आयुक्त के समक्ष अपील के मध्यनजर वर्ष 2012–13 के दौरान मण्डी समिति को वापिस (refund) भी कर दिया गया था। आयकर विभाग को भुगतान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमाँक	वित्त वर्ष	आयकर विभाग को अदा की गई राशि	आयकर विभाग द्वारा वापिस की गई राशि	आयकर विभाग को अदा की गई राशि का संचित योग
1	2006–07	4410343	–	4410343
2	2007–08	–	–	4410343
3	2008–09	4830550	–	9240893
4	2009–10	7794061	–	17034954
5	2010–11	–	–	17034954
6	2011–12	–	3240779	13794175
7	2012–13	–	–	13794175
8	2013–14	747633 (Assessment year 2007-08 से सम्बन्धित)	–	14541808

चूँकि आयकर अधिनियम की धारा 10(26–एएबी) के अन्तर्गत विपणन समितियों/बोर्ड की आय को दिनाँक 01.04.09 से कर मुक्त कर दिया गया है। अतः दिनाँक 01.04.09 के उपरान्त मण्डी समिति द्वारा कोई भी आयकर अदा नहीं किया गया है तथा उक्त तिथि से पूर्व की आय पर किये गये भुगतान की वसूली हेतु आयकर कमिश्नर के समक्ष अपील की गई थी तथा तदानुसार ही ₹14541808/– का आयकर अग्रिम मानकर तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 Market Fees तथा Rent Recovery इत्यादि से सम्बन्धित ₹1317936 के Bounced Cheques की न्यायालय के माध्यम से वसूली न करना तथा नियमों की उल्लंघन करने के बावजूद कारोबारियों के पंजीकरण को निरस्त न करनाः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न मण्डी समिति के वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र में दर्शाए गए मण्डी शुल्क (Market Fee) तथा किराए (Rent) की वसूली से सम्बन्धित ₹1317936/– के bounced cheques मण्डी समिति को प्राप्त हुए थ, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

कारोबारी का नाम	क्रमाँक	चैक संख्या	दिनाँक	राशि	टिप्पणी
मैसर्ज ग्रामीण कृषक सोसाईटी शॉप नं0 5	1	873783	31.3.11	300000	मण्डी शुल्क
मैसर्ज राजीव कुमार संजीव कुमार शॉप नं0 29	2	873782	31.3.11	272000	मण्डी शुल्क
	3	862737	31.3.11	48916	मण्डी शुल्क
	4	862736	31.3.11	200000	मण्डी शुल्क
	5	862734	31.3.11	250000	मण्डी शुल्क
	6	862735	31.3.11	200000	मण्डी शुल्क
मैसर्ज संजीव कुमार शॉप नं0 19 टर्मिनल मण्डी परवाणु	7	520600	03.8.10	47020	
		कुल योग		**1317936**	

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियम) विधेयक, 2005 की धारा 40 (4) की शर्तों के अनुसार यदि कोई आवेदक/कारोबारी हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन अधिनियम/नियम व उप नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उस अवस्था में उसे आवश्यक नोटिस जारी करके उसके पंजीकरण को निरस्त किये जाने का प्रावधान है। मण्डी समिति द्वारा "Bounced Cheques" से सम्बन्धित मामलों को न्यायालय के समक्ष लाने के बावजूद भी न तो सम्बन्धित कारोबारियों के पंजीकरण को रद्द किया गया और न ही उनके कारोबार को रोका गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इस बारे समिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन 2012–13 में पैरा संख्या 11 (क) द्वारा भी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कहा गया था, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस प्रकरण में संस्था स्तर पर जाँच करके अतिरिक्त बकाया राशि की वसूली न्यायालय

के माध्यम से करने के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 45 (3) के अन्तर्गत कार्रवाई करने पर विचार किया जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 दुकानों के किराये की ₹3550822/– का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत बकाया किराया सूची के अनुसार दिनाँक 31.3.14 को **परिशिष्ट "ङ"** के अनुसार और तुलन पत्र के **परिशिष्ट "ग"** के अनुसार ₹3550822/– विभिन्न मार्केट यार्डों के विभिन्न आबंटियों से वसूली हेतु शेष दर्शाई गई है जिसकी समयवध वसूली न होने के कारण एक ओर तो मण्डी समिति के अदत किराये की राशि में वृद्धि हो रही है तथा दूसरी ओर मण्डी समिति को निवेश पर प्राप्त हाने वाले ब्याज के लाभ से भी वंचित होना पड रहा है। अतः उक्त आंबटियों से उनसे बकाया राशि को आबंटन निति एवं अधिनियम की शर्तों के अनुसार प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 मण्डी समिति द्वारा विभिन्न दुकानों व गोदामों की देय प्रतिभूति की राशि में ₹248691.50 का अन्तर पाया जानाः–

मण्डी समिति सोलन द्वारा वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र में विभिन्न दुकानों/गोदामों की देय प्रतिभूति (Security Payable) में ₹8579777.50 दर्शाई गई है जबकि अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई विवरणिकाओं **(परिशिष्ट "च")** के अनुसार देय प्रतिभूति की ₹8331086/– दर्शाइ गई है। अतः तुलन पत्र तथा उक्त **परिशिष्ट "च"** में देय प्रतिभूति की राशि में ₹248691.50 का अन्तर पाया गया जिसका शीघ्र मिलान करके देय प्रतिभूति की सही राशि का आंकलन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त दिनाँक 31.3.14 को उक्त राशि का अन्तर ₹265416.50 था जोकि 31.3.14 को कम हो कर ₹248691.50 रह गया है। अतः उक्त राशि के अन्तर में 2013–14 में जो कमी आई है उसके कारणों को दस्तावेजों सहित लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाए।

13 टर्मिनल मण्डी परवाणु में पट्टे पर आंबटित दुकानों से पट्टे की ₹1082777/– की वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

मण्डी समिति सोलन द्वारा टर्मिनल मण्डी परवाणु में विभिन्न कारोबारियों को पट्टे पर दुकानें आंबटित की गई है जिनसे 31.03.13 को ₹2210279/– वसूलो की जानी शेष थी तथा

दिनाँक 31.3.14 को ₹1082777/– **परिशिष्ट "छ"** के पृष्ठ संख्या 77 से 78 के अनुसार विभिन्न पट्टाधारियों से वसूली योग्य शेष है जिसकी वसूली हेतु उचित पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 कृषि उपज समिति, सोलन की विभिन्न दुकानों/गोदामों/कार्यालयों को समय पर नीलाम न करने के कारण समिति को हो रही हानि के बारे में:–

कृषि उपज समिति, सोलन की विभिन्न दुकानें/गोदामों/कार्यालयों को समय पर नीलाम न करने के कारण यह रिक्त पड़ी है जिनका विवरण **परिशिष्ट "ज"** पर दिया गया है। अतः इन दुकानों/गोदामों/कार्यालयों को समय पर नीलाम न करने के कारण समिति को ही रही हानि के बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा रिक्त पड़ी दुकानों/गोदामों/कार्यालयों की नीलामी हेतु उचित पग उठायें जाएं और अनुपालना से अंकेक्षण को स्चित किया जाए।

15 मण्डी शुल्क की ₹495314.52 की कम वसूली करना:–

वर्ष 2010–11, 2011–12 व 2012–13 में मण्डी समिति को प्राप्त हुये मण्डी शुल्क की जाँच करने पर पाया कि **परिशिष्ट "झ"** के अनुसार मण्डी समिति सोलन के कारोबारियों/कमीशन एजेंटों से उनके नाम के आगे दर्शाई गई देय मण्डी शुल्क की ₹495314.52 की कम वसूली की गई जिस अब हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधिनिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 37 (8) के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना राशि सहित वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 मण्डी शुल्क को जाँच हेतु "O" तथा "Q" फार्म प्रस्तुत न करना:–

मैसर्ज साहनी वेजिटेबल कम्पनी, सोलन दुकान संख्या 13 से वर्ष 2012–13 के दौरान मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:–

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ञ"** में दिये गये विवरण के अनुसार कुछ तिथियों के समस्त "Q" फार्म तथा कुछ तिथियों के अधूरे "Q" प्रस्तुत किये गये थे जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त फर्म ने मण्डी समिति के नियमानुसार वाँछित अभिलेख तैयार नहीं किए थे जिस कारण फर्म से प्राप्त योग्य मण्डी शुल्क का सही आंकलन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तिथियों से सम्बन्धित "O" तथा "Q" फार्म अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि सम्बन्धित फार्म द्वारा इन तिथियों के कारोबार का विवरण

मण्डी समिति को न देकर समिति को मण्डी शुल्क से प्राप्त होने वाली आय से वंचित रखा गया है:–

8.4.12 से 10.4.12, 16.4.12, 17.5.12, 20.5.12 से 23.5.12, 26.5.12, 2.6.12 से 3.6.12, 7.6.12 से 8.6.12, 14.6.12, 18.6.12, 21.6.12 से 28.6.12, 9.7.12, 13.7.12 से 17.7.12, 22.7.12, 30.7.12, 3.8.12, 5.8.12, 8.8.12, 12.8.12, 16.8.12, 19.8.12 से 20.8.12, 22.8.12 से 23.8.12, 29.8.12, 1.9.12, 13.9.12, 2.10.12 से 6.10.12, 15.10.12, 19.10.12 से 24.10.12, 5.11.12, 12.11.12, 17.11.12 से 20.11.12, 5.12.12 से 6.12.12, 10.10.12, 29.12.12 से 31.2.12, 19.1.13, 24.1.13, 2.2.13, 5.2.13, 5.2.13 से 7.2.13, 22.2.13, 10.3.13 से 11.3.13, 13.3.13 से 15.3.13, 18.3.13, 27.3.13।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

17 अधिनियम की धारा 45 (2) की अनुपालना न करने के कारण विपणन समिति सोलन को हानि होना:–

मुख्य मार्किट यार्ड सोलन से प्राप्त मण्डी शुल्क की आय की जाँच के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट "ट"** में वर्णित फमा द्वारा HP Agriculrutal and Horticulture Produce Act, 2005 के Section 45 (2) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार 14 दिनों के भीतर मण्डी शुल्क विपणन समिति, सोलन में जमा नहीं करवाया था। अतः इन फमा द्वारा नियमानुसार 14 दिनों के भीतर मण्डी शुल्क जमा न करवाने के कारण HP Agriculture and Horticulture Produce Act, 2005 के Section 45 (3) के प्रावधानों के अनुसार निश्चित समय अवधि के अन्तर जमा न करवाए गए मण्डी शुल्क की 5 गुणा राशि की अपने स्तर पर गणना करके अपेक्षित राशि इसकी वसूली इन फर्मों से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 मण्डी समिति, सोलन में आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये 15 कर्मचारियों को ₹371235/– का अनुचित भुगतान करना:–

आकस्मिक व्यय बिल 308 दिनाँक 08.10.13 के लेखा परीक्षण के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ/त्रुटियाँ पाई गई:–

(क) मण्डी समिति, सोलन में विभिन्न श्रेणियों के 15 कर्मचारियों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्य का पूर्व आंकलन किये बिना सेब सीजन के लिए रखा गया था जोकि उचित नहीं था, जबकि गत वर्षों में समिति द्वारा आन्तरिक व्यवस्था करके अन्य समितियों से जहाँ पर सेब का सीजन नहीं होता है वहाँ के स्टॉफ को अस्थाई तौर पर तैनात करके सेब सीजन का निपटारा

किया जाता रहा है। इस बारे भी समिति को ऐसा ही प्रबन्ध करके सेब सीजन का निपटारा करना चाहिए था। ऐसा करने से निम्नविवरणानुसार समिति को 15 कर्मचारियों को तीन महीने के लिए किये गये ₹506235/– का भुगतान किया गया।

क्र0सं0	**पद का शीर्ष**	**जितने व्यक्ति काम पर रखे गये**	**प्रति व्यक्ति/प्रति मासिक देय भुगतान**	**3 माह में देय कुल राशि**	**विवरण**
1	मार्केटिंग एग्जिकयूटीव	5	12857	192855	(3 माह x5 व्यक्तिx12857/– प्रतिमाह)
2	मल्टी परपज वर्करज	10	10446	313380	(3 माह x10 व्यक्तिx10446 प्रतिमाह)
			कुल योग	**506235**	

समिति ने विपणन बोर्ड से सेब सीजन के लिए पत्र संख्या ए/एकएमसी–2–11/83–10–935, दिनाँक 25.07.13 द्वारा 10 आकस्मिक वर्करज (Casual Labours) उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया था परन्तु बोर्ड ने समिति को 5 मार्केटिंग एग्जिक्यूटिव और 10 मल्टी परपज वर्करज उपलब्ध करवाए थे। समिति में इस प्रकार कोई भी पद पूर्व से स्वीकृत नहीं है। आकस्मिक वर्करज का मासिक वेतन ₹4500/– प्रतिमाह प्रति वर्कर था जबकि समिति द्वारा मार्केटिंग एग्जिकयूटिव और मल्टी परपज वर्करज को क्रमशः ₹12857/– और ₹10446/– का भुगतान किया गया था। इस प्रकार उक्त पदाधारियों को रखने से आकस्मिक वर्करज को अधिक वेतन देना पड़ा जिससे समिति को तीन माह में (506235–4500x10x3=135000)=₹371235 की हानि हुइ। उक्त कर्मचारियों को जो वेतन का भुगतान किया गया उनके मासिक वेतन का सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति संलग्न नहीं थी जिसके कारण भी ₹506235/– के भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः आकस्मिक वर्करज के स्थान पर इन पदाधारियों को रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ग) इन कर्मचारियों को रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी के प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त आउट सोर्सिंस के माध्यम से 15 कर्मचारियों को रखने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वीकृति भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।

(घ) हिमाचल प्रदेश कृषि और औद्यानिकीय उपज विपणन (वित्तीय) नियम, 2006 के नियम 6 (3) के अनुसार उक्त कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु बजट में प्रावधान भी नहीं था।

(ङ) उक्त कर्मचारियों को सेब सीजन के लिए रखा गया था। कार्यालय अभिलेख के अनुसार इन कर्मचारियों ने 12.8.13 से 17.8.13 तक अलग–अलग दिनों में कार्य ग्रहण किया है। सेब

का सीजन होने के उपरान्त उक्त 15 कर्मचारियों में से चार कर्मचारियों को समिति ने 01.10.13 को अन्य कार्य सौंपा है जबकि सेब सीजन 30.09.13 को समाप्त हो चुका था। अतः सेब का सीजन समाप्त होने के उपरान्त उक्त कर्मचारियों को रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(च) हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकीय उपज विपणन (वित्तीय) नियम, 2006 के नियम 6 (1) के अनुसार बिना बिल/वाउचर के कोई भी भुगतान नहीं किया जा सकता है, जबकि उक्त आकस्मिक व्यय बिल के साथ सम्बन्धित बिल और कर्मचारियों की उपस्थिति/कार्य की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं है। इसके अतिरिक्त बिल का भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्म को न करके हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को किया जा रहा है। उक्त बिल को लेखा परीक्षा में अस्थाई रूप से इस आशय के साथ सशर्त पर पारित किया गया कि इस प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करने के साथ उक्त अंकेक्षण आपत्तियों का निपटारा करना भी सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में इस तरह का स्टॉफ रखने से पहले कार्य का पूर्व आंकलन करके समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त ही केवल आवश्यक रिक्त पदों का भरा जाए और व्यय करने की पूर्व स्वीकृति और प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात ही बिल को लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 कानूनो प्रभार (Legal Charges) का भुगतान बारेः–

बिल संख्या 497, दिनाँक 28.01.14 द्वारा (Legal Charges) के रूप में Sh. E.C. Agarwal (Advocate, Hon"ble Supreme Court), C/O Agrwal Law ? Associate Office: 34 Babar lane 1st floor, Bengali Market New Delhi-110001 को Special Leave Petitions (civil) No. 16353-58 वर्ष 2009 (Agrecultural Produce Market Committee, Solan and others V/S. Vardhmman Textilies Limited & anr etc.) के सन्दर्भ में Legal Expenses शीर्ष के अन्तर्गत बजट में कम राशि शेष होने के कारण केवल ₹221200 का भुगतान किया गया था। बिल के पूर्व अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

1 सक्षम प्राधिकारी से ₹403800/– की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई थी।

2 दिनाँक 27.3.12 से सम्बन्धित Court Appearance Certificate जोकि वकील से लिया जाना अपेक्षित था बिल के साथ संलग्न नहीं पाया गया।

3 Special Secretary (Agriclutre), Himachal Pradesh के पत्र संख्या Agr-E (1)-23/06 दिनाँक 30.7.10 के अनुसार Case की Merit को ध्यान में रखते हुए S.L.P. को Hon"ble Apex Court से सरकारी निर्देशानुसार Withdraw करने का आदेश था परन्तु

विपणन समिति के वकील ने तीन साल के विलम्ब के पश्चात दिनाँक 15.7.13 को S.L.P. withdraw की थी तथा सरकार के S.L.P. Withdraw करने के आदेश के बाद वकील ने 6 Court appearances के लिए भी Claim किया था। यदि सरकारी निर्देश के तुरन्त पश्चात S.L.P. Withdraw कर ली जाती तो विपणन समिति के कोष में ₹342100/– (6 court appearances x55000 प्रति Court appearance + 12100 (सर्विस टेक्स)) की बचत की जा सकती थी।

बिल को अंकेक्षण द्वारा अस्थाई रूप से ₹221200/– के लिए सशर्त पारित किया गया कि उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई की जाए एवं विपणन समिति कोष को हुई हानि की भरपाई भी उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त के अतिरिक्त केस के अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व आवश्यक Codal formalitie पूरी करवाई जानी भी सुनिश्चित की जाए।

20 बिग एफ 95.0 व 92.7 रेडियो पर हिमाचल के सेब का प्रचार–प्रसार करवाने के लिए ₹300000/– का भुगतान करनाः–

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आकस्मिक व्यय बिल संख्या 306 दिनाँक 5.10.13 के लेखा परीक्षण के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ/त्रुटियाँ पाई गईः–

(क) गत वर्षों में हिमाचली सेब का बिल एफ0एम0 95.0 व 92.7 रेडियो पर प्रचार प्रसार करवाने का कोई भी प्रचलन नहीं था। अतः वर्ष 2013 में हिमाचली सेब का रेडियो पर प्रचार–प्रसार करवाने के लिए ₹300000/– को व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) हिमाचल सेब का रेडियो पर प्रचार–प्रसार करवाने से मण्डी समिति की आय में कितनी वृद्धि हुई थी उसका पूर्ण विवरण भो लेखा परीक्षा द्वारा माँगा गया था जोकि प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) उक्त व्यय को करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय कि अनुमति भी प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसके बिना उक्त बिल का भुगतान उचित नहीं था। इसके अतिरिक्त हिमाचली सेब का रेडियो पर प्रचार–प्रसार करवाने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार कि पूर्व स्वीकृति भी संलग्न नहीं पाई गई।

(घ) हिमाचल प्रदेश कृषि और औद्यानिकी उपज विपणन (वित्तीय) नियम, 2006 के नियम 6 (3) के अनुसार उक्त बिल के भुगतान हेतु बजट का प्रावधान नहीं रखा गया था जिसके अभाव में इस राशि का औचित्य पूर्ण नहीं था।

(ङ) हिमाचल सेब के प्रचार–प्रसार का अनुबन्ध रिलायंस ब्रोडकास्ट नेटवर्क लि0 से 20.8.2013 से 1.11.2013 तक 74 दिन के लिए किया गया था परन्तु नीलामी पंजिका के अनुसार सेब का सीजन 30.9.13 तक लगभग समाप्त हो चुका था। अतः सेब सीजन समाप्त होने के उपरान्त इसके प्रचार–प्रसार करने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया।

(च) हिमाचल प्रदेश कृषि और औद्यानिकी विपणन (वित्तीय) नियम 2006 के नियम 6 (1) के अनुसार बिना बिल/वाउचर के कोई भी भुगतान नहीं किया जा सकता है, जबकि उक्त आकस्मिक व्यय बिल के साथ सम्बन्धित फर्म का बिल और आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं था जिसके अभाव में यह भुगतान उचित नहीं ठहराया जा सकता था। इसके अतिरिक्त उक्त बिल का भुगतान फर्म को न करके हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को किया गया तथा उक्त बिल को लेखा परीक्षा में अस्थाई रूप से इस आशय के साथ सशर्त पारित किया गया कि इस प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करने के साथ उक्त अंकेक्षण आपत्तियों का निपटारा करना भी सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में इस तरह का व्यय करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के साथ सक्षम प्राधिकारी से व्यय करने की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके बिलों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

21 बिजली के मीटर संख्या CHC 2000014 की बिलिंग में अनियमितताओं बारेः–

चैक पोस्ट चक्की के मोड़ पर लगे हुए बिजली के मीटर से सम्बन्धित बिल संख्या 145 दिनाँक 27.6.13 ₹39750 के पूर्व अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) आकस्मिक बिल संख्या 15 दिनाँक 22.4.13 द्वारा बिजली के बिल संख्या 111225458827 दिनाँक 15.4.13 मे अवधि 02/13 से 04/13 तक के 738 यूनिटस की खपत के लिए ₹3993/– का भुगतान किया गया था परन्तु बिल पर बिजली की यूनिटस की खपत से सम्बन्धित विवरण जैसे कि आरम्भिक तथा अन्तिम रीडिंग न होने के कारण 738 यूनिटस की खपत के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः यह मामला बिजली बोर्ड से उठाकर 738 यूनिटस की खपत से सम्बन्धित पूर्ण विवरण प्राप्त किया जाए तथा अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाए ताकि 738 यूनिटस की खपत के सही होने बारे पुष्टि की जा सके।

(ख) पुराने मीटर का भुगतान 23345 तक की मीटर रीडिंग के लिए करने के पश्चात माह 04/2013 में यह मीटर बदल दिया गया था तथा बदले गये नये मीटर की आरम्भिक रीडिंग 4780 थो। बिजली बोर्ड द्वारा अवधि 04/13 से 06/13 तक 6096 यूनिटस की खपत के

सन्दर्भ में ₹34899/– (जिसे बाद में घटा कर ₹27620/– कर दिया गया था) का बिल, बिल सख्या 111226196922 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस बिल पर यूनिटस की खपत की अन्तिम रीडिंग 5406 थी जिसके अनुसार केवल 626 यूनिटस (5406 बिल पर अन्तिम रीडिंग)–4780 (बिल की आरम्भिक रीडिंग) की खपत से सम्बन्धित राशि ही देय थी जबकि बिल 6096 यूनिटस की खपत हेतु प्रस्तुत किया गया था। अतः यह प्रकरण बिजली बोर्ड से उठा कर revised bill प्राप्त किया जाए तथा अधिक भुगतान की गई राशि को या तो वापिस प्राप्त की जाए या उस राशि का आगामी देय बिलों में समायोजित करवाया जाए।

(ग) बिल को जमा करवाने की अन्तिम तिथि 27.5.13 थी जबकि अंकेक्षण में यह बिल पारित करने हेतु दिनाँक 27.6.13 को प्रस्तुत किया गया था। अतः इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस बिल में सरचार्ज के रूप में देय राशि भी सम्मिलित हो। अतः ₹27620/– का revised bill सम्पूर्ण विवरण के साथ प्राप्त किया जाए तथा यदि इस बिल में कोई सरचार्ज के रूप में भुगतान की गई राशि पाई जाती है तो उसकी उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना को अवगत करवाया जाए।

(घ) पिछले कुछ माहों में मीटर संख्या CHC2000014 की बिलिंग में असामान्य वृद्धि पाई गई है जिसकी पड़ताल मण्डी समिति द्वारा अपने स्त्तर पर करके आवश्यक कार्रवाई करने के पश्चात वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अतः समिति की committed liability होने के कारण तथा बिजली का कुनेक्शन काटने से बचाने हेतु उक्त बिल संख्या 145 दिनाँक 27.6.13 ₹39750/– को उपरोक्त अंकेक्षण आपत्तियो का निपटारा करने कि शर्त पर अस्थाई रूप से पारित कर दिया गया था।

22 मैसर्ज गुरूवचन सिंह लाल सिंह लाम्बा को टर्मिनल मण्डी परवाणु में शॉप तथा गोदाम आंबटित करनाः–

इस सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) विपणन समिति सोलन तथा बोर्ड के पत्र संख्या क्रमशः A/SMC-3-111/94 Part-6-817 dated 10.7.13 तथा HMB/4-6/76-II dated 31.5.13 द्वारा मैसर्ज गुरवचन सिंह लाम्बा को दुकान तथा गोदाम का आंबटन किया गया था। यह आंबटन इस शर्त के साथ किया गया था कि उन्हें SDM सोलन के आदेशानुसार बकाया राशि का भुगतान करना होगा तथा Act, Rules तथा Bye Laws का पालन करने के साथ–2 विपणन समिति के साथ नियमानुसार Fresh Rent Deed भी करनी होगी। SDM सालन के निर्णय (Case No. 66/13-A of 2007 dated 26.02.10) के मनन के पश्चात पाया गया कि मैसर्ज गुरवचन सिंह लाम्बा को एक माह के भीतर दुकान खाली करनी थी परन्तु SDM सोलन ने बकाया राशि (outstanding rent)

तथा damage charges की वसूली से सम्बन्धित कोई भी आदेश पारित नहीं किया था क्योंकि petitioner (विपणन समिति) बकाया राशि (outstanding rent) तथा damage charges वसूली से सम्बन्धित कोई भी सबूत प्रस्तुत करने में विफल रही थी। तत्पश्चात Divisional Commissioner, Shimla Division, Shimla-2 ने भी अपने निर्णय (Appeal No. 69/2010 dated 06.01.11) द्वारा SDM सोलन के निर्णय को सही ठहराया था परन्तु Hon"ble High Court ने Intrim Order (CWP No. 7648 of 2011 dated 15.09.11) के अन्तर्गत एक समय अवधि के भीतर एक लाख रूपये जमा करवाने का आदेश पारित करते हुए तथा दुकान खाली करने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी। SDM Solan द्वारा तथा अन्य कानूनी प्राधिकारी द्वारा मैसर्ज गुरवचन सिंह लाम्बा से कितनी बकाया राशि की वसूली करनी थी, इससे सम्बन्धित कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त आबंटन की शर्त के अनुसार श्री गुरवचन सिंह लाम्बा से कितनी बकाया राशि वसूल की जानी थी इस बारे भी पूर्व अंकेक्षण को कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी परन्तु बाद में सचिव, विपणन समिति की पत्र संख्या ए/एसएमसी–4–443/97–1505 दिनाँक 28.9.13 द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री गुरूवचन सिंह लाम्बा से वर्ष 31.3.13 तक ₹17063 लीज प्रीमियम व सर्विस चार्जिज के रूप में बकाया शेष थी।

(ख) प्रबन्धक निदेशक, HPSAMB, Khalini, Shimla-2 के letter No. HMB/4-157/95-1147 dated 30.09.2005 के अनुसार दुकानों क आडतियों से दुकानों के किराए की वसूली इस उद्देश्य हेतु गठित कमेटी द्वारा निर्धारित अथवा Executive Engineer, Board द्वारा निर्धारित किराया जो भी higher साईड पर होगा उसी पर की जानी अपेक्षित है। Excutive Engineer, Board द्वारा जारी Rent Reasonability Certificate No. HMB-4/2003-vol-II-4133dated 04-07-13 के अनुसार दुकान का किराया (यदि दुकान का वार्षिक रख रखाव (repair & maintenance) आंबटियों द्वारा स्वयम किया जाता तो ₹150.50 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया था परन्तु निम्नलिखित (तालिका की स्तम्भ संख्या 1 से 3 में वर्णित) में विपणन समिति सोलन द्वारा letter No. A/SMC-3-111/94 Part-6-817 dated 10.10.13 के अन्तर्गत दुकानों का आंबटन Executive Engineer द्वारा निर्धारित अथवा Prevalling Market Rate से कम किराए पर किया था जोकि उन आंबटियों जिन्हें (तालिका में स्तम्भ संख्या 4 से 7 तक वर्णित) Prevalling Market Rate पर दुकानें आंबटित की गई थी, से भी काफी कम था तथा इस कारण विपणन समिति को काफी आर्थिक हानी उठानी पड़ी है। इसके अतिरिक्त Bye laws, 2007 के Bye Law 62 (1) के अनुसार दुकानों/गोदामों का आंबटन Managing

Director की पूर्व अनुमति के उपरान्त negotiation अथवा पब्लिक नोटिस द्वारा किया जा सकता है जोकि इस प्रकरण में नहीं किया गया था।

दुकान/ ऑफिस संख्या	मासिक किराया	प्रति वर्ग मीटर किराया जो बनता था	दुकान/ आफिस संख्या जो पहले से ही आंबटित है	आंबटी का नाम	इन दुकानों का प्रति मासिक किराया (मार्किट रेट के अनुसार)	टिप्पणी
16 (दुकान)	4006	146.73	दुकान 8	श्री शिव सिंह चौहान	10715	दुकानें/आफिस 04/2011 से पहले तथा बाद के आंबटित थे (स्तम्भ 4 से 6 में वर्णित)
36 (आफिस)	3690	146.73	आफिस 8	मैसर्ज मुकंद चौहान	13261	—
—	—	—	आफिस 10	मैसर्ज मनोज कालता	13500	—
—	—	—	आफिस 21	मैसर्ज प्रेम चक्रोला	18035	—
—	—	—	दुकान 21	मैसर्ज सचिन	15553	—
—	—	—	आफिस 14	मैसर्ज प्रियांकल खन्ना	16974	—
—	—	—	आफिस 29	मैसर्ज चेत राम	10609	—
—	—	—	दुकान 36	मैसर्ज शिव लाल	11670	—
—	—	—	आफिस 36	मैसर्ज जय पाल सिंह नेगी	8487	—
—	—	—	आफिस 37	मैसर्ज किशोरी लाल	10000	—

उपरोक्त अनियमितताओं बारे अनुभाग अधिकारी की Endorsement No. RAS/MC/SLN/2013-14-16-17 dated 25.07.13 द्वारा भी इस बारे आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आग्रह किया गया तथा इस विभाग के कार्यालय आदेश संख्या फिन (एल0ए0) एच (2) सी

(15) (14)40/76–खण्ड–9–7193 दिनाँक 07.11.13 के अनुसार भी इस प्रकरण को विपणन समितियों के अधिनियमों व विनियमों के अनुसार निपटाने के आदेश दिए गए थे जिन्हें ध्यान में रखते हुए अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर0ए0एस0/एस0सी0/एसएलए/2013–14–24 दिनाँक 25.11.13 द्वारा इस प्रकरण का निपटारा bye laws 2007 के नियम 62 के अनुसार करने हेतु विपणन समिति को अवगत करवा दिया गया था। अतः उपरोक्त अनियमितताओं व इस प्रकरण का निपटारा bye laws 2007 के नियम 62 के अनुसार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 श्री सुशील कुमार (लिपिक) को ₹44391/– का अनियमित भुगतान करनाः–

बिल संख्या 596 दिनाँक 26.03.2014 के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) श्री सुशील कुमार द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी गई बतौर लिपिक की सेवाओं को दिनाँक 16.06.10 से लिपिक के रिक्त पद के बिना नियमित किया गया था जबकि कार्मिक विभाग की पत्र संख्या पर (एपी)–सी–बी (2)–1/2006–खण्ड–8, दिनाँक 7.5.10 के अनुसार दैनिक वेतन भोगी की सेवाओं को केवल रिक्त पद के विरूद्ध समस्त औपचारिकताओं का पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमित किया जा सकता था।

(ख) दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवाओं को पिछली तिथि से नियमित करने का उक्त पत्र में कोई भी प्रावधान नहीं है जबकि श्री सुशील कुमार की दो वर्ष की नोशल सेवा की शामिल करके 1.10.12 से उच्च पे बैंड 10300–34800 और ग्रेड पे 3200 को स्वीकृत किया गया था जबकि वित्त (वतन परिशोधन) विभाग की अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0)–बी (7)–64/2010, दिनाँक 27.9.2012 क अनुसार लिपिक को उच्च वेतनमान केवल दो वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त ही दिया जा सकता है। श्री सुशील कुमार की बतौर लिपिक सेवाएं दिनाँक 11.2.11 को नियमित की गई थी जिसके दृष्टिगत उन्होंने दिनाँक 11.02.11 (अपराहन) को लिपिक के पद पर कार्य ग्रहण किया था। इस प्रकार उन्हें 11.2.13 से लिपिक के पद पर उच्च पे बैंड 10300–34800 और ग्रेड पे 3200 देय था।

(ग) उक्त अनियमितता के कारण श्री सुशील कुमार, लिपिक को दिनाँक 01.10.12 से उच्च पें बैंड 10300–34800 और ग्रेड पे 3200 को स्वीकृत करने के फलस्वरूप ₹44391/– का अनियमित भुगतान किया गया है जोकि सरकार द्वारा जारी उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार उचित नहीं है।

उक्त वेतन निर्धारण से सम्बन्धित आदेशों को वेट करने हेतु लेंखा परीक्षा को पस्तुत किया गया था जिसे लेखा परीक्षा ने आपत्तियों के साथ दिनाँक 11.3.14 को मूल रूप में इस आशय के साथ लौटाया था कि लेखा परीक्षा की आपत्तियों का निपटारा करने के उपरान्त सम्बन्धित आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए जाएं परन्तु आपत्तियों का सन्तोषजनक निपटारा किये बिना ही बिल को पारित करने का अनुरोध किया गया था। अतः उक्त बिल को लेखा परीक्षा में इस आशय के साथ अस्थाई रूप से सशर्त पारित किया था कि उक्त अंकेक्षण आपत्तियों का निपटारा अतिशीघ्र सुनिश्चित करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 प्राईवेट टैक्सी (एच0पी0–01 ए–1541) के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितताआं बारेः–

बिल संख्या 110 दिनाँक 06.06.13 ₹26565/– से सम्बन्धित लॉग बुक की पड़ताल पर पाया गया कि इस सन्दर्भ में वाहनों के उपयोग हेतु प्रबन्धक निदेशक विपणन बोर्ड शिमला के letter No. HMB (OS) (2)-13/06 dated 09.03.2007) तथा पर सरकार द्वारा समय–2 जारी किये गये दिशा निदेशों/आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था तथा अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) लॉग बुक के कॉलम संख्या 7 में व्यक्ति का नाम तथा पद से सम्बन्धित विवरण भरा नहीं किया गया था।

(ख) लॉग बुक के कालम संख्या 8 में यात्रा का उद्देश्य नहीं भरा गया था।

(ग) लॉग बुक में जिन स्थानों पर वाहन चलाया गया था उनका नाम लिखने के स्थान पर केवल Local लिखा गया था।

(घ) दिनाँक 21.05.13 को वाहन को 288 कि0मी0 चलाया गया था तथा वाहन को चलाने का उद्देश्य परवाणु में वकर्स का निरीक्षण तथा सोलन में मीटिंग दर्शाया गया था परन्तु इस यात्रा को Controlling Officer द्वारा सत्यापित किया गया था। अतः उपरोक्त आपत्तियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

25 बदली गई पुरानी पाईप लाईनस एवं fittings का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करनाः–

विपणन समिति ने नैशनल हाई वे–22 के साथ पाईप लाईन के बदलने/बिछाने का कार्य (बिल संख्या 11 दिनाँक 16.4.13) के अन्तर्गत ₹10801 में करवाया था परन्तु बदली गई पुरानी G.I. पाईप तथा अन्य fittings जोकि नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में ली जानी अपेक्षित थी का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति

स्पष्ट की जाए तथा बदली गई पुरानी पाईपस तथा fittings की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

26 हिम काष्ठ सेल डिपु बद्दी को मूलभूत सुविधायें प्रदान करने से सम्बन्धित ₹41240/– का भुगतान Incharge/MS के सत्यापन के बिना तथा सचिव, विपणन समिति के काउंटर हस्ताक्षर के बिना करनाः–

बिल संख्या 09 दिनाँक 16.04.13 द्वारा हिम काष्ठ सेल, डिपू बद्दी को दिनाँक 08.01.13, 09.01.3, 12.02.12 तथा 13.02.13 को लकड़ी की नीलामी करने हेतु मूलभूत सुविधायें प्रदान करने से सम्बन्धित व्यय के लिए ₹41240/– का भुगतान किया गया परन्तु बिल के साथ न तो उपरोक्त तिथियों को की गई नीलामी से सम्बन्धित कार्रवाई संलग्न थी तथा न ही बिल को सम्बन्धित Incharge/MS, जिसकी उपस्थिति में नीलामी सम्बन्धी कार्य किया गया था, द्वारा सत्यापित किया गया था, जोकि अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा हिम काष्ठ सेल डिपु बद्दी को मूलभूत सुविधायें प्रदान करने से सम्बन्धित किये गये ₹41240/– के भुगतान को सम्बन्धित व्यय का सत्यापन incharge/MS से तथा सचिव, विपणन समिति से कांउंटर हस्ताक्षर करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

27 डिपाजिट वर्कस के लिए अग्रिम राशियाँ जारी करने हेतु वास्तविक बिलों के स्थान पर बिलों की फैक्स द्वारा प्रेषित छाया प्रतियाँ प्रस्तुत करनाः–

बिल संख्या 30 तथा 31 दिनाँक 03.05.13 द्वारा Deposit work Installation of transformer with SOP at TM Pwn. Sector-6, under ESD Parwanoo के निष्पादन हेतु क्रमशः अग्रिम ₹3200000 तथा ₹791000 दी गई थी, परन्तु इस Deposit work के निष्पादन हेतु अग्रिम राशि जारी करने के लिए वास्तविक बिलों के स्थान पर उनकी छाया/फैक्स प्रतियाँ प्रस्तुत की गई, जोकि अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित बिलों/आवश्यकताओं की वास्तविक प्रतियाँ अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

28 निर्धारित समय अवधि से पूर्व बिलों को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करनाः–

बिल संख्या 131 दिनाँक 21.06.13 ₹25152/– में संलग्न एक प्रापर्टी तथा सेनिटेशन टैक्स से सम्बन्धित बिल की ₹2871/– का भुगतान किया गया था। इस बिल की वास्तविक देय ₹2610/– थी परन्तु बिल को इसकी निर्धारित देय तिथि अर्थात 27.5.13 के भीतर जमा न करवाने के कारण विपणन समिति सोलन को ₹261/– बतौर पैनल्टी/सरचार्ज भुगतान

करने पर जोकि उचित नहीं है। यह भी पाया गया कि विपणन समिति द्वारा बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल भी उनकी निर्धारित देय तिथियों के भीतर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये जा रहे है तथा उन पर लगाये गये पेनल्टी को भी carry forward किया जा रहा है, जोकि अनुचित है। अतः उपरोक्त ₹261/–के साथ–2 अन्य बिजली/पानी/टेलीफोन से सम्बन्धित अन्य बिलों में पेनल्टी से सम्बन्धित भुगतान की गई राशियों की भी संस्था स्तर पर जाँच करके इनकी वसूली भी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

29 कूड़ादानों के क्रय के बारेः–

विपणन समिति सोलन द्वारा बिल संख्या 215 दिनाँक 12.8.13 द्वारा ₹93275/– क मूल्य के दो कूड़ादानों का क्रय किया एच0पी0 एग्रो कार्पोरेशन लिमिटेड की सोलन शाखा से किया गया था। स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि स्टॉक में 4 कड़ादान पहले ही दर्ज थे परन्तु यह कूड़ादान कहाँ लगाये गये तथा किसे जारी किये गये इससे सम्बन्धित कोई भी विवरण अभिलेख में दर्ज नहीं था। यह कूड़ादान उपयोगी थे या नहीं, इसके बारे में भी कोई विवरण नहीं दिया गया तथा यदि यह अनुपयोगी थे तो नियमानुसार इन्हें अनुपयोगी घोषित करके write off करवाया जाना चाहिए था परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी जानकारी अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः स्टॉक रजिस्टर में दर्ज इन 4 कूड़ेदानों बार स्थिति स्पष्ट किये जाने के साथ–2 इस बारे अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 गाड़ी संख्या एच0पी0 12ए–0006 के चालक को बिना कार्य के ही ₹163044 का भुगतान करनाः–

पत्र संख्या क्रमाँक ए/एमएमसी–1–55/2001–भाग–1–1947, दिनाँक 22.12.2012 क सन्दर्भ में वाहन की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त वाहन को 10.05.2012 से नहीं चलाया गया था और बाद में इसे 18.6.2012 को अनुपयोगी घोषित करके 10.5.2013 को नीलाम कर दिया गया है। उक्त गाड़ी के चालक को अवधि 10.5.2012 से 31.1.2013 तक बिना गाडो के विपणन समिति, सोलन में रखा गया था जिसके फलस्वरूप चालक को उक्त अवधि में ₹163044/– का भुगतान वेतन, भत्तों और सी0पी0एफ0 शेयर के रूप में बिना कार्य के किया गया है जिससे विपणन समिति, सोलन को आर्थिक रूप से हानि हुई है। अतः बिना गाड़ी के चालक को रखना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वाहन चालक को बिना कार्य के ₹163044/– का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

31 व्यापारियों द्वारा देय मण्डी शुल्क से सम्बन्धित रिटर्नों/फर्मों के सम्पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारेः–

मण्डी शुल्क के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि व्यापारियों द्वारा Returns N फार्म संलगन किये बिना ही "O" फार्म पर प्रस्तुत कर रहे थे जबकि नियम 30 (4) के अनुसार यह फाम आवश्यक थे। इसके अतिरिक्त इनका सत्यापना भी Market Supervisor/Incharge द्वारा नहीं की जा रहा थी जिसके अभाव में "O" फार्म में भरी गई राशि के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा मुख्य सोलन में स्थित दुकान संख्या 1 से 10 का दिनाँक 16.07.13 के बाद का सम्पूर्ण अभिलेख ("O" फार्म/रिटर्न (दैनिक क्रय/विक्रय से सम्बन्धित), Sub rule 30 (ii) HPA & HPM (General) Rules, 2006 के अन्तर्गत अनुरक्षित नीलामी रजिस्टर (फार्म "P") "Q" फार्म/रिटर्न "R" फार्म/रिटर्न Registration Register (U/s 40 of the act) फार्म "B" register of arrival (bye laws 29 (5) के अन्तर्गत) फार्म "D/register of arrival (bye laws 34 (1) मण्डी शुल्क के अंकेक्षण हेतु माँगा गया था जोकि अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसे शीघ्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

32 अदत (Outstading) मण्डी शुल्क की सूची प्रस्तुत न करनाः–

मण्डी समिति द्वारा दिनाँक 31.03.14 को अदत मण्डी शुल्क की सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई है जिसकी अनुपस्थिति में अदत मण्डी शुल्क की राशि का आंकलन नहीं किया जा सका है। अतः शीघ्र अतिशीघ्र मण्डी शुल्क निर्धारण (Assesment) करके मण्डी समिति सोलन व अन्य उप मण्डी समितियों की दिनाँक 31.03.14 को अदत मण्डी शुल्क की सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

33 अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी न करने बारेः–

अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति से स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन तथा अनुपयागी वस्तुओं की सूची माँगी गई थी जोकि प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र में दर्शाई गई विभिन्न चल और अचल सम्पत्तियों में से जो वस्तुऐं उपयोग योग्य नहीं है की सूची तैयार करके उनकी नीलामी हेतु आगामी कार्रवाई की जाए ताकि इन वस्तुओं के स्टोर में पड़े रहने से/अप्रचलित होने से इनकी सक्रेप वैल्यू में कमी आने के कारण समिति को हो रही हानि से बचाया जा सके।

34 निष्कर्षः–

मण्डी शुल्क की समय पर एवं विहित प्रावधानानुसार वसूली हेतु विशेष ध्यान दिए जाने तथा दुकानों के किराये के बकाया राशि जिनमें गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है, उसकी साथ–2 वसूली करने हेतु तथा देय प्रतिभूति के अन्तर के मिलान करने बारे उचित पग उठाए जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 40/76, खण्ड–10–2411–14दिनांक16.05.15
शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. सचिव, कृषि उपज समिति सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।
2. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड विपणन भवन खलीनी शिमला–171002
3. अवर सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
4. अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना कृषि उपज समिति सोलन, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट–''A'' **पैरा 1 (घ) मे सन्दर्भित**

पुराने ऑडिट पैरों की नवीनतम सूची

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

1	पैरा 6	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87

1	पैरा 24(बी)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/89

1	पैरा 11	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/91

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 16	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/96

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 14 (1 व 2)	अनिर्णीत
3	पैरा 15 (क,ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 17	अनिर्णीत
5	पैरा 18	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/99

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 29 (1,2,4)	अनिर्णीत
3	पैरा 31	अनिर्णीत
4	पैरा 41	अनिर्णीत
5	पैरा 42	अनिर्णीत
6	पैरा 43	अनिर्णीत
7	पैरा 44	अनिर्णीत
8	पैरा 45	अनिर्णीत
९	पैरा 46	अनिर्णीत
10	पैरा 48	अनिर्णीत
11	पैरा 53	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2003

1	पैरा 13(ग)	अनिर्णीत

2	पैरा 14	अनिर्णीत
3	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 21	अनिर्णीत
5	पैरा 35	अनिर्णीत
6	पैरा 41	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2005

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10 (ख, ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 12(च)	अनिर्णीत
4	पैरा 17	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
2	पैरा 11	अनिर्णीत
3	पैरा 13	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10(ज)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 5(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 6	अनिर्णीत

2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16	अनिर्णीत
12	पैरा 18	अनिर्णीत
13	पैरा 20	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत
5	पैरा 13	अनिर्णीत
6	पैरा 14	अनिर्णीत
7	पैरा 16	अनिर्णीत
8	पैरा 17	अनिर्णीत
9	पैरा 18	अनिर्णीत
10	पैरा 19	अनिर्णीत
11	पैरा 20	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 3 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 3 (घ)	अनिर्णीत

3	पैरा 3 (ङ)	अनिर्णीत	
4	पैरा 3 (च)	अनिर्णीत	
5	पैरा 3 (छ)	अनिर्णीत	
6	पैरा 3 (ज)	अनिर्णीत	
7	पैरा 3 (झ)	अनिर्णीत	
8	पैरा 3 (ञ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 5	निर्णीत	(सन्तोषजनक उत्तर व आवश्यक कार्रवाई उपरान्त)
10	पैरा 6	अनिर्णीत	
11	पैरा 7	अनिर्णीत	
12	पैरा 8	अनिर्णीत	
13	पैरा 9	अनिर्णीत	
14	पैरा 10	अनिर्णीत	
15	पैरा 11	अनिर्णीत	
16	पैरा 12	अनिर्णीत	
17	पैरा 13	अनिर्णीत	
18	पैरा 15	अनिर्णीत	
19	पैरा 16	अनिर्णीत	
20	पैरा 17	अनिर्णीत	
21	पैरा 18	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त पैरा समाप्त)
2	पैरा 4	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 5	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2012–13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया)
4	पैरा 6	निर्णीत	(संतोषजनक उतर एवं आवश्यक कार्रवाई उपरान्त)
5	पैरा 7	निर्णीत	(संतोषजनक उतर एवं आवश्यक कार्रवाई उपरान्त)
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	निर्णीत	(संतोषजनक उतर एवं आवश्यक कार्रवाई उपरान्त)
8	पैरा 10 (क)(ख)(ग)	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2012–2013 के अंकेक्षण

			प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया)
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13	निर्णीत	(संतोषजनक उतर एवं आवश्यक कार्रवाई उपरान्त)
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2012–13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया)
14	पैरा 16	अनिर्णीत	
15	पैरा 17	अनिर्णीत	
16	पैरा 18	अनिर्णीत	
17	पैरा 19	अनिर्णीत	
18	पैरा 20 (क)	अनिर्णीत	
19	पैरा 20 (ख)	अनिर्णीत	
20	पैरा 21	अनिर्णीत	
21	पैरा 22	अनिर्णीत	
22	पैरा 23	निर्णीत	(संतोषजनक उतर एवं आवश्यक कार्रवाई उपरान्त)
23	पैरा 24	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2012–13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया)
24	पैरा 25	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/12 से 3/13

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण अवधि का अंकेक्षण शुल्क ₹1421469 ड्राफ्ट संख्या 003742 दिनाँक 18.12.13 द्वारा जमा करवा दिया गया था)
2	पैरा 4 (घ)	निर्णीत	(₹2996/– जे0सी0सी0 बैंक, परवाणु में पास बुक संख्या 716 में दिनाँक 22.03.14 को जमा करवा दिए गये)
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	निर्णीत	(विपणन बोर्ड को देय मण्डी शुल्क ₹2513723/– जमा करवा दिया गया था)
7	पैरा 9	अनिर्णीत	

8	पैरा 10 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
9	पैरा 11 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
10	पैरा 12	अनिर्णीत
11	पैरा 13	अनिर्णीत
12	पैरा 14	अनिर्णीत
13	पैरा 15	अनिर्णीत
14	पैरा 16	अनिर्णीत
15	पैरा 17	अनिर्णीत
16	पैरा 18	अनिर्णीत
17	पैरा 19	अनिर्णीत
18	पैरा 20	अनिर्णीत
19	पैरा 21	अनिर्णीत
20	पैरा 22	अनिर्णीत
21	पैरा 23	अनिर्णीत
22	पैरा 24	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का सार

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे (136-12=124) i.e. (1 para of 2010-11 and 11 audit paras of 2011-12 already settled in the audit report of 2012-2013)	124
वर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+) 31
वर्ष अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	(–) 3
अन्तशेष (दिनाँक 31.3.14 तक)	152